कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::सूचना::

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 4 (1)कार्मिक/अं.प्र/2006 पार्ट जयपुर, दिनांकः 06.05.2022 की अनुपालना में विभाग में प्राचार्य एवं समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारियों की वित्तीय वर्षः 2022–23 हेतु दिनांकः 01.04.2022 की स्थिति में नियमानुसार वरिष्ठता सूची जारी की जानी है। उक्त पद पर प्रधानाध्यापक–माध्यमिक विद्यालय एवं प्राध्यापक पद से पदोन्नत अधिकारियों की अन्तः सह वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में शासन के पत्र क्रमांकः प. 17 (15) शिक्षा–2/2021 जयपुर, दिनांकः 09.12.2021 एवं दिनांकः 16.02.2022 द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकल पीठ सिविल याचिका संख्याः 1292/2020 में पारित आदेश दिनांकः 21.02.2022 की पालना में करणीय कार्यवाही के संबंध में इस कार्यालय स्तर पर गठित समिति के प्रतिवेदन (संलग्न) के निष्कर्षों पर निर्देशानुसार समस्त प्रभावित पक्षकारों/हितधारकों से आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं।

संबंधित प्रभावित पक्षकार/हितधारक अपनी औचित्यपूर्ण आपत्तियां मय दस्तावेजों के दिनांकः 03.08.2022 तक इस कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांकः 03.08.2022 के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचारण संभव नहीं होगा।

संलग्नः यथोक्त।

(धर्मेन्द्र कुमार जोशी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/माध्य/वरि/के–4/प्रधानाचार्य वर्किंग(43)/2020 दिनांकः 27.07.22

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय–हाजा को विभागीय वेबसाईट पर सुदृश्य स्थान पर अपलोड कराने बाबत।
2. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय–हाजा।
3. कार्यालय प्रति।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::प्रतिवेदन::

राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद् (प्रधानाचार्य) के 04 बिन्दुओं के ज्ञापन में समिति के समक्ष विचारणीय बिन्दु से संबंधित शासकीय पत्र दिनांकः 09.12.2021 के अनुसार वरिष्ठता निर्धारण का विरोध किया गया है। संगठन द्वारा मुख्यतः मांग यह की गई है कि उप प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य की रिव्यू डीपीसी राजस्थान शिक्षा सेवा नियम–1970 के अनुसार 1996 से 2015 तक कैडर कंट्रोल करते हुवे तत्काल की जावे। संगठन के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में वाद संख्याः 17964/2018, राजस्थान प्रशासनिक प्राधिकरण में 2325/2021 दायर है, जिस पर भी माननीय न्यायालयों में जिला शिक्षा अधिकारी पद पर हुई पदोन्नतियों को न्यायालय के आदेश के अध्यधीन रखा हुआ है। यदि उप प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य की रिव्यू डीपीसी 1996 से 2015 तक करने के आदेश दिये जायें, ताकि प्रधानाचार्य जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उनके साथ न्याय हो सके।

- **राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद् (रेसा)** के 05 बिन्दुओं के ज्ञापन में मुख्यतः निम्नानुसार मांग प्रस्तुत की गई हैः–
  1. प्रधानाचार्य पद की अस्थाई वर्किंग सूची पर प्राप्त अभ्यावेदन के क्रम में शासन से मांगे मार्गदर्शन दिनांकः 29.06.2020 पर शासन का मार्गदर्शन दिनांकः 29.07.2020 प्राप्त होने के बावजूद शासन के निर्देशों के विपरीत जारी कार्यरत सूची अवैध है, अतः इसे रद्द किया जाये।
  2. DEO डीपीसी 2021–22 पर प्राप्त अभ्यावेदन निस्तारण दिनांकः 17.06.2022 वरिष्ठता सूची के साथ–साथ कार्यरत सूची का मनमाना उल्लेख नियम व निर्देशों का उल्लघन है अतः इसे हटाया जाए।
  3. माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की रिट संख्याः CW 1292/2022 के अनुसार डीईओ डीपीसी के संबंध में दिए गए आदेश की पालना करते हुए प्रधानाचार्य की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाए एवं डीईओ डीपीसी के संबंध में निर्णय अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाए। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय पर विभाग द्वारा कोई भी संविक्षा या मार्गदर्शन माननीय न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है।
  4. शासकीय मार्गदर्शन दिनाकः 09.12.2021 व 16.02.2022 में स्पष्ट कहा गया है कि पूर्व में जारी की गई प्रधानाचार्य स्थायी वरिष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। इसके क्रम में निवेदन है कि विभाग द्वारा पूर्व में कभी भी प्रधानाचार्य की स्थायी वरिष्ठता

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

सूची जारी नहीं की गई है। अतः परिषद् का मत है कि दिनांकः 09.12.2021 की पालना में स्थायी वरिष्ठता सूची जारी की जाए।

5. शासन के आदेश दिनांकः 09.12.2021 व 16.02.2022 से प्राप्त मार्गदर्शन के क्रम में निवेदन है कि राजस्थान सेवा नियम–1970 के नियम 25(9)(IV)(C) व राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के नियम 32 (6B) के अनुसार ''किसी पद पर यदि दो भिन्न–भिन्न वेतनमान वाले पदों से पदोन्नति होती है तो उच्च वेतनमान वाले पद को वरिष्ठ माना जाए'' इस के क्रम में विभाग द्वारा यह मत प्रकट किया जा रहा है कि पूर्व में अंतः–सह–वरिष्ठता निर्धारण का कोई ऐसा नियम नहीं है जबकि 1970 से यह नियम लागू है।

समिति का अभिमत

दोनों संगठनों के ज्ञापन में प्रस्तुत मांगों, संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दोनों संगठनों की मांगों का संक्षिप्त विवरण अंकित करते हुए समिति का सर्वसम्मत मत निम्नानुसार हैः–

Rajasthan Education Department

राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद् (प्रधानाचार्य) द्वारा की गई मांग उप प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य की रिव्यू डीपीसी राजस्थान शिक्षा सेवा नियम–1970 के अनुसार 1996 से 2015 तक कैडर कंट्रोल करते हुवे किये जाने बाबत है, जिसका इस समिति द्वारा विचारणीय विषय–वस्तु से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, अतः उक्त संगठन के ज्ञापन में प्रस्तुत उक्त मांगों के संबंध में डीपीसी अनुभाग को ज्ञापन की छाया प्रति मय संलग्न दस्तावेज के भेजा जाना प्रस्तावित है। संगठन द्वारा शासन के पत्र दिनांकः 09.12.2021 के अनुसार वरिष्ठता के निर्धारण का विरोध किया गया है।

सत्यमेव जयते

राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद् (रेसा) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में विभाग द्वारा प्रधानाचार्य कार्यरत सूची को शासकीय मार्गदर्शन दिनांकः 29.07.2020 के निर्देशों के विपरीत होने के कारण अवैध कहा गया है तथा पूर्व में प्रधानाचार्य की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी नहीं किए जाने के कारण शासकीय मार्गदर्शन दिनांकः 09.12.2021 व 16.02.2022 के निर्देशों के अनुसार उच्च वेतनमान वाले पद को वरिष्ठ मानकर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश की पालना करते हुए प्रधानाचार्य की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर तत्काल डीईओ डीपीसी 2022–23 आयोजित करवाने की मांग की गई है।

समिति द्वारा प्रधानाचार्य पद की वर्ष 2022–23 हेतु दिनांकः 01.04.2022 की स्थिति में कार्यरत की वरिष्ठता सूची में प्राध्यापक एवं

प्रधानाध्यापक–मावि की अंतः सह वरिष्ठता निर्धारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर विशद् परिशीलन एवं पारस्परिक विचार विमर्श किया गयाः–

- शासन के पत्र दिनांक : 09.12.2021 द्वारा विभाग को निर्देश प्रदान किए गए हैं कि प्रधानाध्यापक – मावि एवं व्याख्याता – स्कूल शिक्षा पदों से एक ही वर्ष में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत होने वाले कार्मिकों की प्रधानाचार्य पद पर अन्तः सह वरिष्ठता का निर्धारण करते समय उच्च वेतनमान वाले पद (प्रधानाध्यापक) से पदोन्नत कर्मिकों को वरिष्ठता में वरिष्ठ रखा जायेगा।

- उक्त निर्देशों के अनुसरण में विभाग द्वारा प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पदों के अधिकारियों की कार्यरत क्रमानुसार सूची (संदर्भ तिथि – 01.04.2020), जो कि दिनांकः 01.03.2021 को जारी की गई थी, के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी पद की वर्षः 2021–22 की डीपीसी हेतु तैयार की गई पात्रता सूची प्रधानाध्यापक – माध्यमिक विद्यालय को व्याख्याता – स्कूल शिक्षा से वरिष्ठ मानते हुए तैयार की गई एवं उक्तानुरूप ही राज्य सरकार को उक्त डीपीसी हेतु दिनांक : 20.12.2021 को प्रस्ताव प्रेषित किए गए थे।

- परन्तु शासन के पत्र दिनांकः 16.02.2022 द्वारा प्रधानाचार्य–उमावि एवं समकक्ष पद की वरिष्ठता/कार्यरत सूची के सम्बन्ध में पूर्व प्रदत्त मार्गदर्शन दिनांकः 09.12.2021 के संदर्भ में कार्मिक विभाग द्वारा दी गई सलाह विभाग को प्रेषित की गई कि उक्त मार्गदर्शन दिनांकः 09.12.2021 यथावत है, परन्तु वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में उक्त राय के आधार पर पूर्व में सम्पन्न हो चुकी डीपीसी को नहीं खोला जाए तथा पूर्व में अन्तिम हो चुकी वरिष्ठता सूची को भी परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व में इस कारण के नीति नहीं होने के कारण अन्तिम हो चुके प्रकरणों को खोले जाने से न्यायिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। शासन के उक्त मार्गदर्शन के अनुसरण में इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/ए–1/डीपीसी/जिशिअ–उच्च पद/2021–22 दिनांकः 17.02.2022 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु दिनांकः 20.12.2021 को जारी की गई अस्थाई पात्रता सूची को पूर्व वर्षो की भांति रखा जाकर स्थाई पात्रता सूची तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया। जिशिअ एवं समकक्ष पदों की वर्षः 2021–22 की डीपीसी उक्त शासकीय निर्देशों के अनुसरण में ही दिनांकः 20.12.2021 को जारी की गई पात्रता सूची में निर्देशानुरूप संशोधन करके ही सम्पादित की गई थी।

- राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद (रेसा) द्वारा प्रस्तुत माँग पत्र में माँग की गई है कि पूर्व में कभी भी प्रधानाचार्य की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई है, अतः शासन के आदेश दिनांकः 09.12.2021 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की पालना करते हुए प्रधानाचार्य की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी करके जल्द से जल्द जिला शिक्षा अधिकारी डीपीसी 2022–23 का आयोजन किया जाये।

Rajasthan Education Department

उक्त क्रम में उल्लिखित न्यायिक आदेश दिनांकः 21.02.2022 (SBCWP No. 292/2022-Jodhpur H.C.) का संदर्भित अंश अवलोकनीय है :–

"Learned Advocate General has clarified that in so far as the promotions for the year 2021-22 are concerned, communication dated 09.12.2021 (Annex.6) would not be applied and that the same would be applied for future years and in case, the petitioners have a cause of action in future, the petitioners would be free to take appropriate proceedings. In view of the submissions made by learned Advocate General, for the time being, the writ petitions filed by the petitioners have been rendered infructuous. The writ petitions filed by the petitioners are dismissed as having become infructuous".

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में स्पष्ट निर्णय लिया जाना अपेक्षित है:–

"विभाग द्वारा पूर्व में दिनांकः 01.03.2021 को प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत अधिकारियों की जारी की गई कार्यरत सूची (सन्दर्भ तिथिः 01.04.2020) को अन्तिम हो चुकी वरिष्ठता सूची मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी पद की डीपीसी वर्ष 2022–23 के लिए पात्रता सूची (शासकीय निर्देश दिनांकः 16.02.2022 में प्रदत्त निर्देशानुसार) जारी की जानी है।

अथवा

उक्त कार्यरत सूची को अन्तिम हो चुकी वरिष्ठता सूची नहीं माना जाकर संदर्भित न्यायिक आदेश दिनांकः 21.02.2021 में उल्लिखित महाधिवक्ता महोदय के कथनानुरूप (शासकीय निर्देश दिनांकः 09.12.2021 में प्रदत्त निर्देशानुसार) दिनांकः 01.04.2022 की सन्दर्भ तिथि में प्रधानाध्यापक संवर्ग को प्राध्यापक संवर्ग से वरिष्ठता क्रम में ऊपर रखा जाकर तद्नुसार वरिष्ठता/कार्यरत सूची बनाकर डीपीसी हेतु पात्रता सूची का निर्माण किया जाना है।

❖ द्वितीय विकल्प को मान्य किये जाने पर सन्दर्भ तिथिः 01.04.2022 को प्राचार्य पद पर कार्यरत (प्रधानाध्यापक–मावि एवं प्राध्यापक संवर्ग से पदोन्नत) शिक्षाधिकारियों की अन्तः सह–वरिष्ठता में प्रधानाध्यापक–मावि को प्राध्यापक संवर्ग से वरिष्ठता क्रम में चयन वर्षवार ऊपर रखा जाकर दिनांकः 01.04.2022 की स्थिति में कार्यरत प्राचार्य की वरिष्ठता सूची जारी की जानी होगी।"

समिति द्वारा इस बिन्दु पर मनन किया गया कि वर्ष 1997–98 के उपरान्त प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत अधिकारियों की विभाग स्तर पर स्थाई वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई है। दिनांकः 01.03.2021 को जारी

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

कार्यरत क्रमानुसार सूची (सन्दर्भ तिथिः 01.04.2020) तत्समय शासन से प्राप्त हो चुके मार्गदर्शन दिनांकः 29.07.2020 के अनुसार जारी नहीं की गई थी, अतः उक्त कार्यरत क्रमानुसार सूची को अन्तिम हो चुकी स्थायी वरिष्ठता सूची नहीं माना जा सकता है। अतः शासकीय मार्गदर्शन दिनांकः 16.02.2022 एवं न्यायिक निर्णय दिनांकः 21.02.2022 में उल्लिखित महाधिवक्ता महोदय के कथन के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2022–23 के लिये प्राचार्य एवं समकक्ष अधिकारियों की वरिष्ठता सूची/कार्यरत सूची का नये सिरे से निर्माण किया जाना चाहिए। उक्त क्रम में समिति द्वारा शासकीय निर्देश दिनांकः 09.12.2021 एवं 16.12.2022 की पालना में ऊपरांकित द्वितीय विकल्पानुसार कार्यवाही सम्पादित किये जाने की अनुशंषा की गई।

(धर्मेन्द्र कुमार जोशी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते